

न्यायालय उप जिलाधिकारी अकबरपुर आग्नेडकरनगर।
 रिपोर्ट लेखपाल ————— बनाम ————— देव इन्द्रावती महाविद्यालय कटेहरी।
 वाद संख्या ४५
 अन्तर्गत धारा—143ज0वि०अधिनियम
 गौजा—प्रतापपुर चमुर्खा
 परगना मिझौडा तहसील अकबरपुर
 जनपद—आग्नेडकरनगर।

निर्णय

प्रार्थी राणा रणधीर सिंह प्रवन्धक देव इन्द्रावती महाविद्यालय कटेहरी आग्नेडकरनगर द्वारा ज0वि०अधिनियम एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा—143 के तहत इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया गया है कि प्रार्थी ग्राम—प्रतापपुर चमुर्खा परगना मिझौडा तहसील अकबरपुर के गाटा संख्या—2938 / 0.158हे० व गाटा संख्या—2940 / 0.089हे० के सकंगणीय भूमिधर है। उक्त आराजी गाटा संख्या—2938 / 0.158हे० व गाटा संख्या—2940 / 0.089हे० का प्रयोग अकृषिक किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत आराजी को गैर कृषिक प्रयोजन अंकित किया जावे।

इस सम्बन्ध में तहसीलदार अकबरपुर से जांच करायी गयी। तहसीलदार अकबरपुर द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रस्तुत क्षेत्रीय लेखपाल/राजरख निरीक्षक की आख्या को अकृषिक दर्ज किये जाने हेतु स्वीकृतार्थ अग्रसारित किया गया है। क्षेत्रीय राजरख निरीक्षक की आख्या से स्पष्ट है कि ग्राम—प्रतापपुर चमुर्खा के गाटा संख्या—2938 / 0.158हे० व गाटा संख्या—2940 / 0.089हे० का प्रयोग अकृषिक किया जा रहा है। उक्त भूखण्ड पर देव इन्द्रावती महाविद्यालय संचालित है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रार्थित आराजी को ज0वि०अधिनियम एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा—143 के अन्तर्गत गैर कृषिक प्रयोजन घोषित किये जाने योग्य है।

आदेश

उपर्युक्त वर्णित परिस्थितियों में ग्राम—प्रतापपुर चमुर्खा परगना मिझौडा तहसील अकबरपुर के खतौनी वर्ष—1416—1421फसली के खाता संख्या—961 के गाटा संख्या—2938 / 0.158हे० व खाता संख्या—962 के गाटा संख्या—2940 / 0.089हे० को गैर कृषिक प्रयोजन यानी कृषि कार्य से इतर घोषित किया जाता है। सम्बन्धित खतौनी के खाता संख्या 961 व 962 के टिप्पणी कालम में अंकन हो। आदेश की प्रमाणित प्रति उप निवन्धक अकबरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय। तदनुसार परवाना अगलदरागद जारी हो। वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली संचित अभिलेखागार हो।

मिलानी १५/११३

मार्च २००२ - २८

मार्ग ३२९



१५/११३
उप जिलाधिकारी
अकबरपुर।

न्यायालय उप जिलाधिकारी अकबरपुर, अम्बेडकरनगर।
राना रनधीर सिंह प्रबन्धक देव इन्द्रावती महाविद्यालय, कटेहरी

वनाम

ग्रामसभा।

बाद संख्या—८०

अन्तर्गत धारा—143ज0वि0अधिनियम

मौजा—प्रतापपुर चमुर्खा

परगना व तहसील अकबरपुर

जनपद—अम्बेडकरनगर।

निर्णय

वादी राना रनधीर सिंह पुत्र देवनाथ सिंह निवासी ग्राम—करमपुर तहसील भीटी जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा ज0वि0अधिनियम एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा—143 के तहत इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया गया है कि वह ग्राम—प्रतापपुर चमुर्खा परगना व तहसील अकबरपुर के गाटा संख्या—2939 / 0.107 हेठो संकमणीय भूमिघर है, जिस पर देव इन्द्रावती महाविद्यालय कटेहरी के रूप में प्रयोग हो रहा है, जिसकी चौहदी पूरब देव इन्द्रावती महाविद्यालय कटेहरी उत्तर देव इन्द्रावती महाविद्यालय कटेहरी दक्षिण देव इन्द्रावती महाविद्यालय कटेहरी एवं पश्चिम देव इन्द्रावती महाविद्यालय का प्रयोग बतौर अकृषिक किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत आराजी को गैर कृषिक प्रयोजन अंकित किया जावे।

इस सम्बन्ध में तहसीलदार अकबरपुर से जांच करायी गयी। तहसीलदार अकबरपुर द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रस्तुत क्षेत्रीय लेखपाल/राजस्व निरीक्षक की नजरी नक्शा सहित आख्या अकृषिक दर्ज किये जाने हेतु रखीकृतार्थ अग्रसारित किया गया है। क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक की आख्या से स्पष्ट है कि ग्राम—प्रतापपुर चमुर्खा परगना व तहसील अकबरपुर के गाटा संख्या—2939 / 0.107 हेठो का संकमणीय भूमिघर है। उक्त भूमि का प्रयोग बतौर अकृषिक किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रार्थित आराजी को ज0वि0अधिनियम एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा—143 के अन्तर्गत गैर कृषिक प्रयोजन घोषित किये जाने योग्य हैं।

आदेश

उपर्युक्त वर्णित परिस्थितियों में ग्राम—प्रतापपुर चमुर्खा परगना व तहसील अकबरपुर के खतौनी वर्ष—1416—1421फसली के खाता संख्या—082 के गाटा संख्या—2939 / 0.107 हेठो लगान 2.15 को गैर कृषिक प्रयोजन यानी कृषि कार्य से इतर घोषित किया जाता है। जिसकी चौहदी पूरब देव इन्द्रावती महाविद्यालय कटेहरी उत्तर देव इन्द्रावती महाविद्यालय कटेहरी दक्षिण देव इन्द्रावती महाविद्यालय कटेहरी एवं पश्चिम देव इन्द्रावती महाविद्यालय में स्थित है। सम्बन्धित खतौनी के खाता संख्या 082 के टिप्पणी कालम में अंकन हो। आदेश की प्रमाणित प्रति उप निबन्धक अकबरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही देहु भेजी जाय। संलग्न नजरीनक्शा आदेश का अंग होगा। तदनुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली संचेत अभिलेखागार हो।

मिलाडी—१५/८/१९८०

मिलाडी—१५/८/१९८०

मिलाडी—१५/८/१९८०

मिलाडी—१५/८/१९८०

मिलाडी—१५/८/१९८०

मिलाडी—१५/८/१९८०

उप जिलाधिकारी
अकबरपुर।



केवल नकल की फीस के लिए

आवश्यक स्टाम्प सहित प्रार्थना-पत्र देने की तिथि Date on which Application is made for copy accompanied by the requisite stamps	नोटिस बोर्ड पर नकल तैयार होने की सूचना की तिथि Date of posting notice on notice board	नकल वापिस दिये जाने की तिथि Date of delivery + of copy	नकल वापिस देने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर Signature of official delivering copy
03-03-2013	14-03-2013	17-03-2013	14/3/13 RA

ପାତ୍ର କାହାର ଦେଖିଲା ଏହାର ମଧ୍ୟରେ କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା
କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା

କାନ୍ଦିର ପାତାର ମାଟେ ୦୬-୦୧-୦ ମୁହଁନ୍ଦିରାଜାର ମାଟେ ୦୬-୦୧-୦
ମାଟେ ୦୬-୦୧-୦ ମାଟେ ୦୬-୦୧-୦

न्यायालय उप जिलाधिकारी अकबरपुर, अम्बेडकरनगर।
स्पिट लखपाल — वनाम — देव इन्द्रावती महाविद्यालय कटेहरी आदि।

वाद संख्या- 29

अन्तर्गत धारा-143 ज0व10अधिनियम

मीजा—प्रतापपुर चमुखी

परगना अधिकारीहसील अकबरपुर

जनपद—अम्बेडकरनगर

निर्णय

प्रार्थी देव इन्द्रावती महाविद्यालय कटेहरी व रामदेव जनता विद्यालय कटेहरी द्वारा प्रबन्धक रानारण्डीर सिंह पुत्र देवनाथ सिंह निवासीग्राम-करमपुर परगना व तहसील अकबरपुर जनपद-आर्बेडकरनगर द्वारा ज0वि0अधिनियम एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा-143 के तहत इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया गया है कि उक्त दोनों संस्थायें ग्राम-प्रतापपुर चमुखी के गाटा संख्या-2949कमि. / 2.024हे0 के सह सकमणीय भूमिघर है। उक्त आराजी गाटा संख्या-2949कमि./2.024हे0 का प्रयोग बतौर आबादी किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में प्रार्थनीगण द्वारा प्रार्थित आराजी को गैर कृषिक प्रयोजन अकित किया जावे।

इस सम्बन्ध में तहसीलदार अकबरपुर से जाँच करायी गयी। तहसीलदार अकबरपुर द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रस्तुत क्षेत्रीय लेखपाल/राजस्व निरीक्षक आख्या को अकृषिक दर्ज किये जाने हेतु स्पीकृतार्थ अग्रसारित किया गया है। क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक की आख्या से स्पष्ट है कि देव इन्द्रावती महाविद्यालय कटेहरी व रामदेव जनता विद्यालय कटेहरी द्वारा प्रबन्धक सानारणधीर सिंह पुत्र देवनाथ सिंह निवासीग्राम—करमपुर परगना तहसील अकबरपुर जनपद—अम्बेडकरनगर उक्त दोनों संस्थायें ग्राम—प्रतापपुर चमुर्खा के गाटा संख्या—2949कमि./2.024हे० के सह सकंमणीय भूमिधर हैं। उक्त आराजी गाटा संख्या—2949कमि./2.024हे० का प्रयोग बतौर आबादी किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रार्थित आराजी को जठविओअधिनियम एवं भूमि व्यावस्था अधिनियम की धारा—143 के अन्तर्गत गैर कृषिक प्रयोजन अंकित किये जाने योग्य

आदेश

उपर्युक्त वर्णित परिस्थितियों में ग्राम-प्रतापपुर चमुखा परगना ~~मि~~ तहसील अकबरपुर के खतौनी वर्ष-1410-1415 फसली के खाता संख्या-1224 के गाटा संख्या-2949कमि./2.024 हो को गैर कृषिक प्रयोजन यानी कृषि कार्य से इतर धौषित किया जाता है। सम्बन्धित खतौनी के खाता संख्या-~~1224~~ के टिप्पणी कालम में अंकन हो। आदेश की प्रमाणित प्रति उप निबन्धक अकबरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय। तदनुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफतर हो।

मिस्री राज्य - १०३८

उप जिलाधिकारी।

अकबरपुर ।